भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 2258

(जिसका उत्तर सोमवार, 09 दिसंबर, 2024/18 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया गया)

कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी आंकड़ों में पारदर्शिता और सटीकता

2258. श्रीमती अपराजिता सारंगी:
डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगे:
श्री शंकर लालवानी:

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी आंकड़ों में अधिक पारदर्शिता और सटीकता को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;
(ख) क्या कारपोरेट सामाजिक दायित्व को सुकर बनाने के लिए वर्तमान में कोई योजनाएं चल रही है;
(ग) यदि हां, तो इन योजनाओं की प्रमुख विशेषताओं सहित इनकी वर्तमान स्थिति क्या है;
(घ) उक्त योजना के अंतर्गत अब तक प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और
(ड.) विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जैसे आरईसी, पीएफसी, एनटीपीसी, एनएचपीसी द्वारा महाराष्ट्र में स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र को आवंटित की गई कारपोरेट सामाजिक दायित्व निधि का राज्य/जिला-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 135, अधिनियम की अनुसूची-VII और कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के तहत कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) का कानूनी ढांचा प्रदान किया गया है। अधिनियम की धारा 135, तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान 500 करोड़ रुपये या उससे अधिक के निवल मूल्य या 1000 करोड़ रुपये या उससे अधिक का टर्नओवर या 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक के निवल लाभ वाली प्रत्येक कंपनी को कंपनी की सीएसआर नीति के अनुसार पिछले तीन वित्तीय वर्षों में किए गए कंपनी के औसत निवल लाभ का कम से कम दो प्रतिशत सीएसआर व्यय करने के लिए अधिदेशित करती है।

अधिनियम के तहत, प्रत्येक सीएसआर अधिदेशित कंपनी को एक सीएसआर समिति का गठन करना होता है। समिति सीएसआर नीति तैयार करेगी और इसकी सिफारिश करेगी और कंपनी का बोर्ड इसकी सिफारिशों के आधार पर कंपनी के सीएसआर कार्यकलापों की योजना बनाएगा, निर्णय लेगा, उनका निष्पादन करेगा और उनकी निगरानी करेगा।

जारी.....2/-

कंपनी के बोर्ड को अपनी बोर्ड रिपोर्ट में कंपनी द्वारा कार्यान्वित सीएसआर नीति का प्रकटन करना आवश्यक है और कंपनी के बोर्ड को स्वयं को संतुष्ट करना होगा कि इस प्रकार संवितरित निधियों का उपयोग इसके द्वारा अनुमोदित उद्देश्यों के लिए और तरीके से किया गया है, और मुख्य वित्तीय अधिकारी या वित्तीय प्रबंधन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति इस आशय को प्रमाणित करेगा। इसके अतिरिक्त, चालू परियोजना के मामले में, कंपनी का बोर्ड अनुमोदित समय-सीमा और वर्ष-वार आवंटन के संदर्भ में, परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा और समग्र अनुमेय समयावधि के भीतर परियोजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए संशोधन, यदि कोई हो, करने के लिए सक्षम होगा। सीएसआर कार्यकलापों, प्रभाव आकलन आदि का विवरण कंपनियों द्वारा सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट में सूचित किया जाना आवश्यक है, जिसमें सीएसआर पर वार्षिक कार्य योजना शामिल है जो कंपनी की बोर्ड रिपोर्ट का हिस्सा है। इसके अतिरिक्त, जिन कंपनियों की अपनी वेबसाइटें हैं, उन्हें अपनी वेबसाइट पर सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं जैसे प्रकटीकरण करना अपेक्षित है। सीएसआर ढांचा प्रकटन आधारित है और सीएसआर कार्यकलापों पर व्यय की लेखापरीक्षा कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जानी अपेक्षित है। मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2021-22 से लागू कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020, ("सीएआरओ, 2020") को अधिसूचित किया है, जिसमें लेखापरीक्षकों को किसी भी अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण देना आवश्यक है। सरकार ऐसा कोई निदेश जारी नहीं करती है कि कंपनी किस कार्यकलाप या क्षेत्र पर व्यय करेगी। कंपनियों को अपनी सीएसआर नीति की विषय-वस्तु का प्रकटन अपनी रिपोर्ट में करना होता है और इसे कंपनी की वेबसाइट पर डालना होता है।

इस प्रकार, मौजूदा कानूनी प्रावधानों जैसे अनिवार्य प्रकटन, सीएसआर समिति और बोर्ड की जवाबदेही, कंपनी के लेखाओं की सांविधिक लेखापरीक्षा के प्रावधान आदि के साथ-साथ, कारपोरेट अभिशासन गवर्नेंस कंपनियों द्वारा कार्यान्वित सीएसआर कार्यकलापों के लिए पर्याप्त सुरक्षोपाय प्रदान करता है। जब कभी सीएसआर प्रावधानों के उल्लंघन की सूचना प्राप्त होती है, तो रिकार्डों की विधिवत जांच करके और कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अनुपालन न करने वाली ऐसी कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की जाती है।

(ख), (ग) और (घ): सीएसआर को सुकर बनाने के लिए ऐसी कोई योजना नहीं है।

(ङ): कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सीएसआर निधियों के आवंटन का कोई प्रावधान नहीं है। वार्षिक फाइलिंग के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक महाराष्ट्र में स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र पर पीएसयू द्वारा जिलावार सीएसआर व्यय अनुलग्नक- I के रूप में संलग्न है।

*****

अनुलग्नक- I

09.12.2024 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2258 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

वित्त वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक महाराष्ट्र में स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र पर पीएसयू द्वारा जिलावार सीएसआर व्यय
(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	जिला	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23
1.	अहिल्यानगर (अहमदनगर)	0.08	0.09	-
2.	अकोला	0.16	0.34	-
3.	अमरावती	-	-	0.59
4.	छत्रपति संभाजीनगर (औरंगाबाद)	-	0.30	0.40
5.	बीड	-	0.56	0.10
6.	भंडारा	0.10	1.07	1.61
7.	बुलढाणा	0.00	2.04	1.96
8.	चंद्रपुर	1.14	0.27	0.11
9.	धाराशिव (उस्मानाबाद)	0.46	0.47	0.04
10.	धुले		0.05	-
11.	गढ़चिरौली	4.05	11.90	-
12.	गोंदिया	-	-	-
13.	हिंगोली	-	-	-
14.	जालना	-	1.81	1.33
15.	कोल्हापूर	0.17	0.10	0.30
16.	लातूर	-	0.02	-
17.	मुंबई शहर	4.15	146.00	161.12
18.	मुंबई उपनगरीय	0.45	-	0.49
19.	नागपुर	0.41	60.91	16.17
20.	नांदेड़	0.20	-	0.01
21.	नंदुरबार	5.34	2.28	1.57
22.	नाशिक	4.70	4.37	8.91
23.	पालघर	0.28	0.04	-
24.	पुणे	1.23	5.94	2.22
25.	रायगढ़	12.18	4.60	14.49
26.	रत्नागिरी	0.27	0.03	0.40
27.	सांगली	-	0.10	0.21
28.	सातारा	0.00	0.09	0.35
29.	सिंधुदुर्ग	-	0.55	1.26
30.	सोलापुर	-	-	0.45
31.	ठाणे	1.17	16.10	1.87
32.	वर्धा	-	2.13	-
33.	वाशिम	-	0.97	0.52
34.	यवतमाल	-	0.03	0.72
35.	एनईसी/उल्लेख नहीं किया गया*	144.14	12.86	8.59
	कुल	180.68	276.04	225.77

(31.03.2024 तक के आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट डाटा मेनेजमेंट सेल)

* कंपनियों ने या तो जिलों के नाम निर्दिष्ट नहीं किए या एक से अधिक जिलों को इंगित किया जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं।

*****